



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2016/माघ 13, 1937

No. 47]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2016/MAGHA 13, 1937

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2016

सं.भा.आ.प/34(41)/2015-मेडि./163838.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

- (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2016" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- "अर्हक मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(5) में, अंतिम जोड़े गए पैरा प्वाइंट 2 में दी गई शर्तें पूरी की गई हों और समझौता ज्ञापन का अभिन्न अंग होंगे, जिसे इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(2) न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले अस्पताल को, अभिमानतः, न्यूनतम 33 वर्ष की अवधि के लिए या 99 वर्ष तक के पट्टे द्वारा, परंतु किसी भी स्थिति में 33 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए जो कि एक समुचित समझौता ज्ञापन के जरिए आवेदक न्यास/सोसाइटी/कंपनी को सरकार द्वारा अंतरित करना होगा। सरकारी अस्पताल सुविधा अंतरित करते समय, राज्य सरकार, सरकार का हित सुरक्षित कर सकती है, विशेष रूप से मेडिकल कालेज में सरकारी कोटे के अंतर्गत छात्रों के दाखिले और मेडिकल कालेज के संबद्ध अस्पताल(लों) में मरीज देखभाल के संबंध में।"

डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./100/15/348]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड

(4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 28 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 22.10.1999, 01.08.2008, 26.08.2009, 22.10.2009, 13.11.2009, 02.02.2010, 26.02.2010, 16.04.2010, 14.10.2011, 04.06.2012, 01.10.2012, 19.03.2014, 22.08.2014, 19.10.2015 और 14.01.2016 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2016

No.MCI-34(41)/2015-Med./163838.— In exercise of the powers conferred by Section 10(A) read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999” namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2016”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Clause 2(5) under the heading “QUALIFYING CRITERIA”, **point no. 2 of the last added para setting out the conditions to be fulfilled and to form part and parcel of the Memorandum of understanding** shall be substituted as under:-
 - (2) The minimum 300 bedded hospital has to be transferred by the Government to the applicant trust/society/company through an appropriate Memorandum of Understanding of minimum of 33 years or by way of lease of 99 years preferably but in any case not less than 33 years. While transferring the Government Hospital facility, the State Government may safeguard the interest of State particularly in respect of admission of students under Government Quota in the medical college and patient care in affiliated Hospital(s) of the Medical College.

Dr. REENA NAYYAR, Secretary I/c

[ADVT. III/4/Exty./100/15/348]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Establishment of Medical College Regulations, 1999” were published in Part–III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India notification No.34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 22/10/99, 01/08/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/2/2010, 16/4/2010, 14/10/2011, 4/6/2012, 1/10/12, 19/3/14, 22/8/14, 19/10/2015 & 14/01/2016.